

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(561)परि/नियम/मु./2019/265

जयपुर, दिनांक : 26/02/2021

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- वाहन जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Highrise International Pvt. Ltd. को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B A(ii) for CNG (for in use of Gasoline vehicles), 115(2)(i), 115[(15)(a),(aa),(b)(i)], 115B E के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

MPFI "IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Engine CC Range	Type Approval Certificate No. & Date
Hyundai i20 Magna (O)	1197	897.75 to 1496.25	CAMA 0121 R01 18-03-2020

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Engine CC Range	Type Approval Certificate No. & Date
Hyundai i20 Magna (O)	1197	897.75 to 1496.25	CAMA 0121 29-05-2017

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	CHEVROLET BEAT	1199	01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAMA 0121 L01 10-06-2017
2	CHEVROLET ENJOY	1399		
3	CHEVROLET SAIL (HATCHBACK)	1199		
4	CHEVROLET SAIL (SEDAN)	1199		
5	CHEVROLET SPARK	995		
6	DATSUN GO	1198		
7	DATSUN GO PLUS	1198		
8	FIAT PUNTO EVO 1.2	1172		
9	FIAT PUNTO EVO 1.4	1368		
10	FIAT LINEA	1368		
11	FIAT AVVENTURA	1368		
12	FORD FIGO ASPIRE	1196		
13	FORD ECOSPORT	999		

14	FORD FIGO	1196
15	HONDA AMAZE	1198
16	HONDA JAZZ	1198
17	HYUNDAI i20 ELITE	1197
18	HYUNDAI EON KAPPA MAGNA	998
19	HYUNDAI i10 1.1	1086
20	HYUNDAI GRAND i10	1197
21	HYUNDAI VERNA FLUIDIC 1.4	1396
22	HYUNDAI XCENT	1197
23	HYUNDAI i20 ACTIVE	1197
24	HYUNDAI i20 MAGNA	1197
25	HYUNDAI i10 1.2	1197
26	HYUNDAI SANTRO	1086
27	HYUNDAI SANTRO XING	1086
28	MAHINDRA KUV 100	1198
29	MAHINDRA VERITO	1390
30	MARUTI ALTO K10	998
31	MARUTI ASTAR	998
32	MARUTI BALENO	1197
33	MARUTI CIAZ	1373
34	MARUTI SWIFT DZIRE	1197
35	MARUTI EECO(5 Seater)	1196
36	MARUTI EECO(7 Seater)	1196
37	MARUTI EECO CARGO	1196
38	MARUTI ERTIGA	1373
39	MARUTI RITZ	1197
40	MARUTI SWIFT	1197
41	MARUTI WAGON R	998
42	MARUTI WAGON R STINGRAY	998
43	MARUTI IGNIS	1197
44	MARUTI GYPSY	1298
45	MARUTI ZEN ESTILO	998
46	MARUTI CELERIO	998
47	NISSAN MICRA ACTIVA	1198
48	NISSAN MICRA	1198
49	RENAULT KWID	999
50	RENAULT PULSE	1198
51	SKODA RAPID 1.2	1198
52	SKODA OCTAVIA	1395
53	SKODA FABIA	1198
54	TATA MANZA	1368
55	TATA INDIGO eCS	1193
56	TATA ZEST	1193
57	TATA BOLT	1193
58	TATA INDICA VISTA	1193
59	TATA TIAGO	1199
60	TATA INDICA VISTA	1172
61	TATA ZICA	1199
62	TOYOTA ETIOS	1496

01st April 2013 till the
validity of Bharat Stage IV
norms

CAMA 0121 L01
10-06-2017

63	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
64	TOYOTA ETIOS CROSS G	1197		
65	TOYOTA ETIOS CROSS V	1496		
66	VOLKSWAGEN POLO	1198		
67	VOLKSWAGEN CROSS POLO	1198		
68	VOLKSWAGEN VENTO	1197		
69	VOLKSWAGEN JETTA	1390		
70	VOLKSWAGEN AMEO	1198		

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Engine CC Range	Type Approval Certificate No. & Date
Hyundai i20 Magna (O)	1197	897.75 to 1496.25	CAMA 0121 R01 L01 26-06-2020

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	Hyundai Venue	1197	01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAMA 0121 R01 L01 26-06-2020
2	Maruti S Presso	998		
3	Maruti Wagon-R	1197		
4	Maruti Celerio Tour H2	998		
5	Maruti Eeco Tour V(5 Seater)	1196		
6	Maruti Eeco Tour V (7 Seater)	1196		
7	Maruti Ertiga Tour M	1462		
8	Toyota Glanza	1197		
9	Toyota Yaris	1496		
10	Mahindra XUV-300	1197		
11	Renault Triber	999		

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	MARUTI DZIRE TOUR	1197	01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAMA 0121 L03 16-02-2018
2	MARUTI SWIFT DZIRE TOUR	1197		
3	HONDA WR-V	1199		
4	DATSUN REDI GO	999		
5	HYUNDAI XCENT PRIME	1197		
6	TATA TIGOR	1199		
7	TATA NEXON	1198		
8	TOYOTA PLATINUM ETIOS	1496		

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	HONDA BRIO	1198	01 st April 2013 till the validity of Bharat Stage IV norms	CAMA 0121 L04 12-03-2018
2	MARUTI DZIRE	1197		
3	MARUTI TOUR S PETROL	1197		

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
6. वाहन का टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चौयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(561)परि/नियम/मु./2019 / 266 - 68

जयपुर, दिनांक :

26.2.19

प्रतिलिपि:-

1. M/s. Highrise International Pvt. Ltd, 3473, Second Floor, Street No. 6, Nicholson Road, Kashmeri Gate, Delhi 110006 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय।

- 5d -

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(561)परि/नियम/मु./2019 / 273

जयपुर, दिनांक : 26/02/2021

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

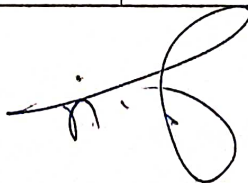
विषय:- वाहन जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में "मैसर्स Highrise International Pvt. Ltd. को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B A(ii) for CNG (for in use of Gasoline vehicles), 115(2)(i), 115[(15)(a)(b)(i)], 115B E के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

MPFI "IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Engine CC Range	Type Approval Certificate No. & Date
Maruti Wagon R	998	748.50 to 1247.50	CAMA 0036 R01 26-02-2020

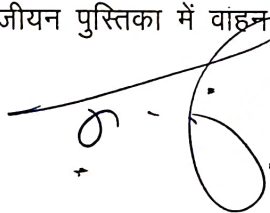
"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Engine CC Range	Type Approval Certificate No. & Date
Maruti Wagon R	998	748.50 to 1247.50	CAMA 0036 13-02-2017

Sr.No.	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	MARUTI WAGON R STINGRAY	998	01 st April 2010 till 31 st March 2013	CAMA 0036 L01 27-02-2017
2	MARUTI ALTO	796		
3	MARUTI ALTO 800	796		
4	MARUTI EECO (5 Seater)	1196		
5	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
6	MARUTI EECO (7 Seater)	1196		
7	MARUTI OMNI (5 SEATER)	796		
8	MARUTI OMNI (8 SEATER)	796		
9	MARUTI RITZ	1197		
10	MARUTI SWIFT	1197		
11	MARUTI A STAR	998		
12	MARUTI ALTO K10	998		
13	CHEVROLET BEAT	1199		
14	CHEVROLET SPARK	995		



15	CHEVROLET AVEO UVA	1150		
16	HYUNDAI i20	1197		
17	HYUNDAI i10	1086		
18	HYUNDAI i10	1197		
19	HYUNDAI EON	814		
20	HYUNDAI SANTRO XING	1086	01 st April 2010 till 31 st March 2013	CAMA 0036 L01 27-02-2017
21	FIAT PUNTO	1172		
22	FORD FIGO	1196		
23	HONDA BRIO	1198		
24	HONDA JAZZ	1198		
25	TATA INDIGO CS	1193		
26	TATA INDICA eV2	1192		
27	TATA INDICA XETA	1193		
28	TATA INDICA VISTA	1172		
29	VOLKSWAGEN POLO	1198		
30	NISSAN MICRA	1198		
31	RENAULT PULSE	1198		
32	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
33	MARUTI ZEN ESTILO	998		

- इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
- केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
- वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।



6. वाहन का टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(561)परि/नियम/मु./2019/274-76

जयपुर, दिनांक : 26.2.21

प्रतिलिपि:-

1. M/s. Highrise International Pvt. Ltd, 3473, Second Floor, Street No. 6, Nicholson Road, Kashmeri Gate, Delhi 110006 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय।

-54-
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(561)परि/नियम/मु./2019 / 269

जयपुर, दिनांक : 26/02/2021

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- वाहन जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एवं तिपहिया वाहन में " मैसर्स **Highrise International Pvt. Ltd.** को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा EXTENSION के प्रमाण पत्र, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं। जो निम्न प्रकार है:-

"IN-USE" BASE MODEL	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
MARUTI Wagon R (998Cm ³ -April 2010 make)	1510	Correction in: a) Petrol Solenoid Valve Updation of: a) Pressure indicator indentification No. & Type	CAMA0036 E01 27-03-2017

"IN-USE" BASE MODEL	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
MARUTI Wagon R (998Cm ³ -April 2010 make)	1510	1. Vendor addition of: a) Pressure Regulator b) Interfacing Unit c) Current Limiting Device (Fuse) d) ON/OFF Switch e) Wiring Harness 2. Vendor addition & deletion of injector Rail 3. Vendor deletion of conduit.	CAMA0036 E02 13-03-2018

"IN-USE" BASE MODEL	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
Hyundai i20 Magna(O) (1197Cm ³ -August 2013 make)	1510	Addition of High Pressure Tubing	CAMA0121 E01 10-07-2017

"IN-USE" BASE MODEL	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
Hyundai i20 Magna(O) (1197Cm ³ -August 2013 make)	1510	Vendor Addition & Deletion of Gas Injector	CAMA0121 E02 06-03-2018

"IN-USE" BASE MODEL	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
---------------------	---------	------------------	--------------------------------------

Hyundai i20 Magna(O) (1197Cm ³ -August 2013 make)	1510	1. Vendor addition of: a) ON/OFF Switch b) Interfacing unit c) Wiring Harness 2. Deletion of vendor for conduit (M/S Shivshakti Impex) & updation of conduit manufacturer name (M/s Tubicor) 3. Compliance as per GSR 643(E) dated 27-06-2017.	CAMA0121 E03 24-04-2018
--	------	---	----------------------------

"IN-USE" BASE MODEL	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
Hyundai i20 Magna(O) (1197Cm ³ -August 2013 make)	1510	1. Inclusion of CNG Cylinder capacity & Cylinder Dia. 2. Deletion of cylinder Dia for following Cylinder manufacturer: a) Dia 323 mm for M/s Rama 3. Addition of optional make of Cylinder & Cylinder Valve.	CAMA0121 E04 17-09-2018

"IN-USE" BASE MODEL	GVW(KG)	Nature of Change	Type Approval Certificate No. & Date
Hyundai i20 Magna(O) (1197Cm ³ -August 2013 make)	1510	1. Inclusion of CNG Cylinder capacity & Cylinder Dia. 2. Deletion of cylinder capacity & Cylinder Dia for following Cylinder manufacturer: a) 75 ltr (Dia 316 mm) & 75, 80 ltr (Dia 325 mm) for M/s Shauwala b) 75 ltr (Dia 317 mm) for M/s Rama 3. Addition of optional make of Cylinder & Cylinder Valve. 4. Vendor addition of Pressure Regulator.	CAMAQ121 E05 19-03-2018

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

26.2.21

क्रमांक प.7(38)(561)परि/नियम/मु./2019/270-72

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि:-

1. M/s. Highrise International Pvt. Ltd, 3473, Second Floor, Street No. 6, Nicholson Road, Kashmeri Gate, Delhi 110006 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

- 54 -
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)